न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वा...

R 1873-III/2006 निगरानी प्रकरण क्र0-

10 COURT FEE 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CF Rs 15

01. रामनिवास तनय वंशरूप कुशवाहा, उम्र 63 वर्ष, पेशा–खेती,
02. रामनरेश तनय श्री जागेश्वर कुशवाहा, उम्र 25 वर्ष, पेशा–खेती,
03. लल्लूलाल तनय श्री जागेश्वर कुशवाहा,
04. रामविसुन तनय श्री जागेश्वर कुशवाहा,
05. रामप्रगास तनय वंशरूप कुशवाहा,
06. रामकृपाल तनय वंशरूप कुशवाहा,

सभी निवासी ग्राम–करौंदी, तहसील–अमरपाटन, जिला–सतना (म0प्र0)

———आवेदकगण

बनाम्

01. छोटेलाल तनय भोला काछी,
02. भुवनेश्वर तनय भोला काछी
03. बेवा ठकुरी पत्नी स्व. श्री भोला काछी

सभी निवासी ग्राम–करौंदी, तह0–अमरपाटन, जिला–सतना (म0प्र0)

04. तीरथ तनय भुवनेश्वर
05. रामसिया तनय भुवनेश्वर
06. विगौकी पत्नी मथुरा प्रसाद पुत्री भुवनेश्वर

सभी निवासी ग्राम–रिमारी, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

07. रामाश्रय तनय रामेश्वर कुशवाहा,
08. जगन्नाथ प्रसाद तनय रामगोपाल कुशवाहा
09. भैयालाल पिता रामगोपाल,

सभी निवासी ग्राम–करौंदी, तहसील–अमरपाटन, जिला–सतना (म0प्र0)

———अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा बावत् अपील/प्रकरण

क्रमशः...2–4

क0—5—18/03/04 निर्णय दिनांक 15/09/06

अन्तर्गत् धारा 50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न हैं :—

सूक्ष्म तथ्य मामले का इस प्रकार है :—

यह कि आवेदकगण व अनावेदकगण ग्राम—करौंदी की आराजी नम्बर — 110/2 रकवा 0.90 एकड़, 112/2 रकवा 0.36 एकड़, 112/2 रकवा 0.42 एकड़, किता 3 जुमला रकवा 1.68 एकड़ के नामांतरण के दावेदार नायब तसहीलदार — अमरपाटन, जिला—सतना म0प्र0 में विकी के आधार पर से, जो पूर्व भूमिस्वामी भुवनेश्वर प्रसाद से मुवलिग 65/— रूपये में सम्बत् 2002 सन् 1945 में खरीदा था, व काबिज थे, जो आवेदकगण व अनावेदकगण संयुक्त हिन्दू परिवार था, मालिक मुखिया भी था, जिससे आवेदकगण व अनावेदकगण का कब्जा था, वह पूर्व भूमिस्वामी ने स्वीकार भी किया, जिस अनुसार विधिवत् जाँच व साक्ष्य इस आधार की हुई कि भोला के वारिसान छोटेलाल ने आपत्ति किया, कि उनकी स्व—अर्जित है व आवेदकगण का व अन्य अनावेदकगण का हक कब्जा नही, किन्तु आपत्ति गलत पाई गई, व पूर्व भूमिस्वामी की स्वीकृति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार में कय होने से प्रतिफल संयुक्त परिवार में संयुक्त धन से कय होना पाया गया, जिसके आधार पर मान्नीय नायब तहसीलदार साहब वृत्त ताला, अमरपाटन, जिला—सतना ने राजस्व प्रकरण कमांक— 82/अ6/2002—2003 में पारित आदेश दिनांक 02/06/2003 के द्वारा नामांतरण आवेदकगण व अनावेदकगण के नाम विधिवत् प्रमाणित कर दिया, किन्तु अपील क0— 164/2002/2003 आदेश दिनांक 31/08/2004 में अनुविभागीय अधिकारी ने रद्द कर दिया, जिससे पीड़ित होकर आवेदकगण मान्नीय अपर आयुक्त महोदय के यहाँ द्वितीय विभागीय अधिकारी, क्षेत्र अमरपाटन, जिला—सतना म0प्र0 का आदेश कायम रखते हुए मान्नीय नायब तहसीलदार के आदेश को रद्दकर दिया, और आवेदकगण की अपील अमान्य कर दिया, जिससे दुःखित होकर उक्त निगरानी है, जो

R – 1873 – III / 2006 सतना

प.क्र.-16

5/8/16

आवेदक अभि० को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अतः अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

सदस्य

जिला–सतना

——अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा बावत् अपील/प्रकरण

क्रमश....2–4